

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/01जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2018/

भोपाल, दिनांक /10/2018

प्रति,

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडत्र भवन, भोपाल, म0प्र0।

विषय :- चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में विभागीय उम्मीदवार के रूप में अध्ययनरत् डॉ शशीन्द्र भन्नारिया, चि0अ0 को स्टायपेंड भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :-1. आपका पत्र क्रमांक 2143/प्रवेश/4/संचिशि/2018 दिनांक 08.08.2018।
2. संचालनालय का स्पॉन्सरशिप प्रमाण-पत्र क्रमांक 1-जी/पी.जी.सेल/2017/1606-1607 दिनांक 19.05.2017।

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में लेख है कि डॉ शशीन्द्र भन्नारिया, आर0सी0एच0 संविदा चिकित्सक के पद पर जिला मण्डला में कार्यरत थे, विभाग द्वारा पी0जी0 अध्ययन हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के उपरांत ही, डॉ भन्नारिया को स्पॉन्सरशिप प्रमाण-पत्र दिनांक 19.5.2017 के सरल क्रमांक 18 अनुसार संविदा चिकित्सक के रूप में स्पॉन्सरशिप प्रदान की गई एवं स्पॉन्सरशिप में संविदा चिकित्सकों को स्टायपेंड भुगतान के संबंध में लेख किया गया है।

डॉ भन्नारिया, संविदा चिकित्सक द्वारा यदि मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 की कण्डिका 12 (बंधपत्र) के बिन्दु क्रमांक iii अनुसार सेवारत् अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित बंधपत्र निष्पादित किया गया है तो स्टायपेंड की पात्रता आती है। अतः प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

पृ0क्रमांक/01जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2018/ 1631

भोपाल, दिनांक 8/10/2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म0प्र0।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, म0प्र0।
3. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर, म0प्र0।
4. संबंधित चिकित्सक, द्वारा अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर, म0प्र0।
5. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म0प्र0।

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0